झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 55 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती पुजा कुमारी सोनी मेट्रो गली, रोड नं० -12, राँची।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, राँची

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग **कैम्प कार्यालय, राँची।** **वाद सं0–55/2023** आज दिनांक–05.10.2023 को राँची परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के क्रम में वाट्सएप्प द्वारा अध्यक्ष को लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से शिकायतकर्ता, पुजा कुमारी सोनी, राशन (कार्ड नं0–202006698676), पता–मेट्रो गली, रोड नं0–12, राँची ने अवगत कराया है कि उन्हें जनवितरण प्रणाली दुकानदार, श्री गणपति चंद्रगुप्त, अनुज्ञप्ति सं0–09/2021, वार्ड नं0–30, सुखदेव नगर द्वारा राशन कम दिया गया एवं विरोध करने पर उनके साथ हाथा–पाई की गई। शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन की एक प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची को उपलब्ध कराते हुए आयोग यह निर्देश देता है कि पूरे मामले की जाँच कर, आयोग को अपना जाँच प्रतिवेदन 07 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराएँ एवं यदि शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप सही पाये जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जनवितरण प्रणाली दुकानदार के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए ऐसा नजीर पेश करें, ताकि कोई दूसरा जनवितरण प्रणाली दुकानदार किसी लाभुक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर पाये। निदेश दिया गया कि इस वाद को आयोग में सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करते हुए अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–31.10.2023 को निर्धारित की जाती है। मामले की अगली सुनवाई आयोग कार्यालय में होगी। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। दिनांक–31.10.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx62	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–55/2023	
31.10.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता सुश्री पुजा कुमारी सोनी, मेट्रो गली, रोड़ नं0–12, राँची आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से श्री श्रीनिवास सिंह, पणन पदाधिकारी, राँची आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के सुनवाई में शिकायतकर्त्ता पुजा कुमारी सोनी स्वयं और जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची के प्रतिनिधि के तौर पर पणन पदाधिकारी, उपस्थित रहे। शिकायतकर्त्ता ने जनवितरण प्रणाली दुकानदार श्री गणपति चन्द्रगुप्त के विरूद्ध कम राशन दिये जाने का विरोध करने पर उनके द्वारा हाथा–पाई करने का आरोप लगाया था। आयोग ने उनके उक्त आरोप की जाँच करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची को दिया था, और उन्हें यह निर्देश भी दिया था कि वो उपरोक्त जाँच का प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में ये बताया गया है कि जनवितरण प्रणाली दुकानदार श्री गणपति चन्द्रगुप्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप सही पाये जाने के कारण उनकी अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गयी है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची के प्रतिनिधि के तौर पर आयोग में उपस्थित पणन पदाधिकारी को यह निर्देश देता है कि वो अनुज्ञप्ति निलंबित किये जाने से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज आयोग के अभिलेख में प्रस्तुत करें। आयोग पणन पदाधिकारी के माध्यम से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची को निर्देश देता है कि लाभुक को जिस अवधि का जितना राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है या कम उपलब्ध कराया गया है, उसका सवा गुणा मुआवजा सहित अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और ऐसा कर दिये जाने का लिखित प्रमाण आयोग के अगली सुनवाई में प्रस्तुत करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची द्वारा यदि आयोग के आज के आदेश के अनुपालन का प्रमाण पेश नहीं किया गया तो दिनांक–17.11.2023 के होने वाली सुनवाई में आयोग, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची के विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–17.11.2023 को रखें। Sd/- **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। G:\Rachana jsfc\Court order.docx9	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–55 / 2023	
17.11.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से सुश्री पुजा कुमारी सोनी, मेट्रो गली, रोड नं0–12, जिला–राँची आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से श्री निवास सिंह, पणन पदाधिकारी, राँची आयोग कार्यालय में उपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची के प्रतिनिधि के तौर पर पणन पदाधिकारी, श्रीनिवास सिंह उपस्थित हैं और शिकायतकर्ता पुजा कुमारी सोनी उपस्थित हैं। आयोग के अभिलेख में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची द्वारा पत्रांक–697 दिनांक–16.11.2023 के माध्यम से प्रेषित प्रतिवेदन आयोग के अभिलेख में उपलब्ध है। जिसमें शिकायतकर्ता पुजा कुमारी सोनी ने लिखा है कि उन्हें 20 कि0ग्रा0 चावल एवं 05 कि0ग्रा0 गेहूं अगस्त, 2023 से नवंबर, 2023 की अवधि का प्राप्त हो गया है। आयोग में उपस्थित शिकायतकर्ता का कहना है कि मेरे विशेष आग्रह के बावजूद राशन डीलर ने विलंब से अनाज दिये जाने के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किया, जबकि पणन पदाधिकारी ने डीलर को ऐसा करने का भी निर्देश दिया। पणन पदाधिकारी का कहना है कि इस प्रकरण के कारण सम्बन्धित डीलर श्री गणपति चन्द्रगुप्त, अनुज्ञप्ति सं0–09 / 2021 के दुकान को निलंबित कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने आशंका व्यक्त की है कि इस पूरे मामले को तत्काल रफा–दफा करने के उद्देश्य से श्री गणपति चन्द्रगुप्त के दुकान को निलंबित किया गया है। थोड़े दिनों के बाद उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया जाएगा। क्योंकि PDS संचालक के बारे में यह प्रचारित कराया गया है कि उसकी ऊँची पहुँच है और वो दबंग है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि श्री गणपति चन्द्रगुप्त, अनुज्ञप्ति सं0–09 / 2021 को यदि भविष्य में निलंबन मुक्त किया जाता है, तो निलंबन मुक्त किये जाने का आधार और इस पूरे प्रक्रकरण या कृत कार्रवाई का जाँच प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करें। इस वाद को पुनः प्रारंभ किया जा सकता है यदि शिकायतकर्ता द्वारा या अन्य किसी माध्यम से इस आशय की जानकारी प्राप्त होती है कि बगैर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन भेजे श्री गणपति चन्द्रगुप्त, अनुज्ञप्ति सं0–09 / 2021 को निलंबन मुक्त कर दिया गया है। फिलहाल इस वाद को निष्पादित किया जाता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx129	